भीम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.8(41)नविवि/2019 जयपुर, दिनांकः 28 DEC 2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2020 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए के आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा एक मुश्त दिनांक 31.12.2020 तक जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट तथा एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी के आवासों की बकाया किश्तों की राशि एक मुश्त दिनांक 31.12.2020 तक जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी।

उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने हेतु बकाया किश्तों की राशि एक मुश्त जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.03.2021 तक बढाई जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम